

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 529]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 26 सितम्बर 2022—आश्विन 4, शक 1944

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2022

क्र. 14455-232-इक्कीस-अ-प्रा.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 25 सितम्बर, 2022 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १४ सन् २०२२

मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-३) अधिनियम, २०२२

[दिनांक २५ सितंबर, २०२२ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक २६ सितंबर, २०२२ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

वित्तीय वर्ष २०२२-२०२३ की सेवाओं के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए अधिनियम.

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-३) अधिनियम, २०२२ है.

वित्तीयवर्ष २०२२-२०२३ के लिये राज्य की संचित निधि में से रुपये ९७,८४,९५,११,००० का दिया जाना.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग रुपये नौ हजार सात सौ चौरासी करोड़ पचानवे लाख ग्यारह हजार होता है, उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों की बावत् वित्तीय वर्ष २०२२-२०२३ के दौरान दिये जाने होंगे, दी और उपयोजित की जा सकेंगी.

विनियोग.

३. इस अधिनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

अनुसूची

(धारा २ और ३ देखिये)

(आंकड़े रुपयों में)

(१) अनुदान का संख्यांक	(२) सेवायें और प्रयोजन	(३) निम्नलिखित से अनधिक राशियां			
		विधान सभा द्वारा मतदत्त रुपये	संचित निधि पर भारत रुपये	योग रुपये	
	भारत विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	राजस्व	०	३००	३००
	भारत विनियोग-लोक ऋण	पूंजी	०	१००	१००
००१.	सामान्य प्रशासन	राजस्व	४०,८२,२०,३००	०	४०,८२,२०,३००
००२.	विमानन	राजस्व	१०,००,००,०००	०	१०,००,००,०००
००३.	गृह	राजस्व	६६,३४,२०,७००	०	६६,३४,२०,७००
		पूंजी	३,००,२०,००,०००	०	३,००,२०,००,०००

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
००४.	पर्यावरण	राजस्व	३००	०	३००
००५.	जेल	राजस्व	५०,००,०००	०	५०,००,०००
००७.	वाणिज्यिक कर	राजस्व	१,९६,५८,८१,४००	०	१,९६,५८,८१,४००
००८.	भू-राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय	राजस्व	३००	८९,०६,००,०००	८९,०६,००,३००
०१०.	वन	राजस्व	४,४७,०८,६००	८०,००,०००	५,२७,०८,६००
०१२.	ऊर्जा	राजस्व	७,५०,००,००,०००	०	७,५०,००,००,०००
		पूँजी	६००	०	६००
०१३.	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	राजस्व	११,००,००,००,३००	०	११,००,००,००,३००
०१४.	पशुपालन एवं डेयरी	राजस्व	३,१२,४३,०००	०	३,१२,४३,०००
०१५.	घुमन्तु और अर्धघुमन्तु जनजाति विभाग	राजस्व	३४,५०,१००	०	३४,५०,१००
०१७.	सहकारिता	राजस्व	३८,००,००,०००	०	३८,००,००,०००
०१८.	श्रम	राजस्व	३,००,००,००,१००	०	३,००,००,००,१००

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	रुपये
०१९.	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण			
	राजस्व	१००	०	१००
	पूंजी	३,५६,००,०००	०	३,५६,००,०००
०२०.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी			
	राजस्व	१,५१,००,००,०००	०	१,५१,००,००,०००
	पूंजी	२०,००,००,०००	०	२०,००,००,०००
०२२.	नगरीय विकास एवं आवास			
	राजस्व	७,६०,२०,१००	०	७,६०,२०,१००
	पूंजी	४,००,५२,०१,४००	०	४,००,५२,०१,४००
०२३.	जल संसाधन			
	राजस्व	८०,००,००,०००	०	८०,००,००,०००
	पूंजी	५,००,००,००,०००	२८,००,००,०००	५,२८,००,००,०००
०२४.	लोक निर्माण कार्य			
	राजस्व	१,८५,००,००,६००	०	१,८५,००,००,६००
	पूंजी	१०,०९,६०,००,९००	३५,००,००,०००	१०,४४,६०,००,९००
०२५.	खनिज साधन			
	राजस्व	४५,००,००,१००	१,१३,०५,१०,३००	१,५८,०५,१०,४००
	पूंजी	२,५५,००,००,०००	०	२,५५,००,००,०००
०२६.	संस्कृति			
	राजस्व	२,४०,००,०००	०	२,४०,००,०००
	पूंजी	१,००,००,०००	०	१,००,००,०००
०२७.	स्कूल शिक्षा			
	राजस्व	३,२५,००,३००	०	३,२५,००,३००
०२८.	राज्य विधान मंडल			
	राजस्व	१०,००,०००	०	१०,००,०००
०२९.	विधि और विधायी कार्य			
	राजस्व	१,१९,६९,९०,२००	०	१,१९,६९,९०,२००

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	रुपये
०३०	ग्रामीण विकास	राजस्व ८३,७१,००,४०० पूंजी १००	०	८३,७१,००,४०० १००
०३१	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	राजस्व ८१,७७,८९,६०० पूंजी १,५३,१५,००,०००	०	८१,७७,८९,६०० १,५३,१५,००,०००
०३२	जनसंपर्क	राजस्व १०,००,००,०००	०	१०,००,००,०००
०३३	जनजातीय कार्य	राजस्व ४,४५,२२,००,४०० पूंजी १५,००,००,०००	०	४,४५,२२,००,४०० १५,००,००,०००
०३४	सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण	राजस्व ७५,५३,३१,०००	०	७५,५३,३१,०००
०३५	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	राजस्व ४६,६९,१०० पूंजी २६,००,०००	३०,०००	४६,९९,१०० २६,००,०००
०३६	परिवहन	राजस्व ७०,००,०००	०	७०,००,०००
०३७	पर्यटन	राजस्व १००	०	१००
०३९	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण.	राजस्व ६,६६,४००	०	६,६६,४००
०४०	पंचायत	राजस्व ३००	०	३००
०४१	प्रवासी भारतीय	राजस्व २०,००,००,०००	०	२०,००,००,०००

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
०४२.	भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास	राजस्व	१४,००,०००	०	१४,००,०००
०४३.	खेल और युवा कल्याण	पूंजी	१५,००,००,०००	०	१५,००,००,०००
०४४.	उच्च शिक्षा	राजस्व	४२,१६,००,१००	०	४२,१६,००,१००
०४५.	लोक परिसंपत्ति प्रबंधन	राजस्व	६०,००,००,०००	०	६०,००,००,०००
		पूंजी	५०,००,००,०००	०	५०,००,००,०००
०४६.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	राजस्व	२००	०	२००
		पूंजी	१,६५,००,६००	०	१,६५,००,६००
०४७.	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार.	राजस्व	७९,२९,७२,७००	०	७९,२९,७२,७००
		पूंजी	४००	०	४००
०४८.	नर्मदा घाटी विकास	राजस्व	१,३०,७०,००,५००	०	१,३०,७०,००,५००
		पूंजी	८,००,००,००,०००	०	८,००,००,००,०००
०४९.	अनुसूचित जाति कल्याण	राजस्व	१,७४,०१,११,०००	०	१,७४,०१,११,०००
		पूंजी	१००	०	१००
०५१.	धार्मिक न्यास और धर्मस्व	राजस्व	१००	०	१००
०५२.	चिकित्सा शिक्षा	राजस्व	९९,२०,००,१००	०	९९,२०,००,१००

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	रुपये
०५३.	अल्प संख्यक कल्याण			
	राजस्व	३,८३,०००	०	३,८३,०००
	पूंजी	११,५४,९१,०००	०	११,५४,९१,०००
०५४.	पिछड़ा वर्ग कल्याण			
	राजस्व	४,९८,४२,००,०००	०	४,९८,४२,००,०००
०५५.	महिला एवं बाल विकास			
	राजस्व	१०,७६,८६,१३,३००	०	१०,७६,८६,१३,३००
०५६.	कुटीर एवं ग्रामोद्योग			
	राजस्व	३००	०	३००
०५७.	आनंद			
	राजस्व	१००	०	१००
योग :				
	{ राजस्व :	५९,८२,५४,७५,२००	२,०२,९१,४०,६००	६१,८५,४६,१५,८००
	{ पूंजी :	३५,३६,४८,९५,१००	६३,००,००,१००	३५,९९,४८,९५,२००
	वृहद-योग :	९५,१९,०३,७०,३००	२,६५,९१,४०,७००	९७,८४,९५,११,०००

भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2022

क्र. /232-इक्कीस-अ-प्रा.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) अधिनियम, २०२२ (क्रमांक 14 सन् 2022) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

NO. 14 OF 2022

THE MADHYA PRADESH APPROPRIATION (NO. 3) ACT, 2022.

[Received the assent of the Governor on the 25th September, 2022; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 26th September, 2022.]

An Act to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh for the services of the financial Year 2022-23.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Seventy-third year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Appropriation (No. 3) Act, 2022.

Short title.

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sums of Rs. Nine thousand seven hundred eighty four crore ninety five lakh eleven thousand towards defraying the several charge which shall come in the course of payment during the Financial Year 2022-23 in respect of services and purposes specified in column (2) of the Schedule.

Issue of Rs.
97,84,95,11,000
from and out of
the Consolidated
Fund of the
State for the
Financial Year
2022-23.

Appropriation.

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.

THE SCHEDULE
(See Section 2 and 3)

(1) Number of Vote	(2) Services and purposes	(3) Sums not exceeding		
		Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total
		Rs.	Rs.	Rs.
	Charged Appropriation- Interest Payments and Servicing of Debt.			
	Revenue	0	300	300
	Charged Appropriation- Public Debt.			
	Capital	0	100	100
001.	General Administration			
	Revenue	40,82,20,300	0	40,82,20,300
002.	Aviation			
	Revenue	10,00,00,000	0	10,00,00,000
003.	Home			
	Revenue	66,34,20,700	0	66,34,20,700
	Capital	3,00,20,00,000	0	3,00,20,00,000
004.	Environment			
	Revenue	300	0	300
005.	Jail			
	Revenue	50,00,000	0	50,00,000
007.	Commercial Tax			
	Revenue	1,96,58,81,400	0	1,96,58,81,400
008.	Expenditure on Land Revenue, District Administration and Disaster Relief.			
	Revenue	300	89,06,00,000	89,06,00,300

(1)	(2)	(3)			
		Rs.	Rs.	Rs.	
010.	Forest	Revenue	4,47,08,600	80,00,000	5,27,08,600
012.	Energy	Revenue	7,50,00,00,000	0	7,50,00,00,000
		Capital	600	0	600
013.	Farmers Welfare and Agriculture Development.	Revenue	11,00,00,00,300	0	11,00,00,00,300
014.	Animal Husbandry and Dairying.	Revenue	3,12,43,000	0	3,12,43,000
015.	Nomadic and Semi- Nomadic Tribe Department.	Revenue	34,50,100	0	34,50,100
017.	Co-operation	Revenue	38,00,00,000	0	38,00,00,000
018.	Labour	Revenue	3,00,00,00,100	0	3,00,00,00,100
019.	Public Health and Family Welfare.	Revenue	100	0	100
		Capital	3,56,00,000	0	3,56,00,000
020.	Public Health Engineering	Revenue	1,51,00,00,000	0	1,51,00,00,000
		Capital	20,00,00,000	0	20,00,00,000
022.	Urban Development and Housing.	Revenue	7,60,20,100	0	7,60,20,100
		Capital	4,00,52,01,400	0	4,00,52,01,400
023.	Water Resources	Revenue	80,00,00,000	0	80,00,00,000
		Capital	5,00,00,00,000	28,00,00,000	5,28,00,00,000
024.	Public Works	Revenue	1,85,00,00,600	0	1,85,00,00,600
		Capital	10,09,60,00,900	35,00,00,000	10,44,60,00,900

(1)	(2)	(3)		
		Rs.	Rs.	Rs.
025.	Mineral Resources			
	Revenue	45,00,00,100	1,13,05,10,300	1,58,05,10,400
	Capital	2,55,00,00,000	0	2,55,00,00,000
026.	Culture			
	Revenue	2,40,00,000	0	2,40,00,000
	Capital	1,00,00,000	0	1,00,00,000
027.	School Education			
	Revenue	3,25,00,300	0	3,25,00,300
028.	State Legislature			
	Revenue	10,00,000	0	10,00,000
029.	Law and Legislative Affairs			
	Revenue	1,19,69,90,200	0	1,19,69,90,200
030.	Rural Development			
	Revenue	83,71,00,400	0	83,71,00,400
	Capital	100	0	100
031.	Planning, Economics and Statistics.			
	Revenue	81,77,89,600	0	81,77,89,600
	Capital	1,53,15,00,000	0	1,53,15,00,000
032.	Public Relations			
	Revenue	10,00,00,000	0	10,00,00,000
033.	Tribal Affairs			
	Revenue	4,45,22,00,400	0	4,45,22,00,400
	Capital	15,00,00,000	0	15,00,00,000
034.	Social Justice and disabled Person welfare.			
	Revenue	75,53,31,000	0	75,53,31,000
035.	Micro, Small & Medium Enterprises.			
	Revenue	46,69,100	30,000	46,99,100
	Capital	26,00,000	0	26,00,000
036.	Transport			
	Revenue	70,00,000	0	70,00,000
037.	Tourism			
	Revenue	100	0	100

(1)	(2)	(3)		
		Rs.	Rs.	Rs.
039.	Food, Civil Supplies and Consumer Protection.			
	Revenue	6,66,400	0	6,66,400
040.	Panchayat			
	Revenue	300	0	300
041.	Overseas Indian Department			
	Revenue	20,00,00,000	0	20,00,00,000
042.	Bhopal Gas Tragedy Relief and Rehabilitation.			
	Revenue	14,00,000	0	14,00,000
043.	Sports and Youth Welfare			
	Capital	15,00,00,000	0	15,00,00,000
044.	Higher Education			
	Revenue	42,16,00,100	0	42,16,00,100
045.	Public Assets Management			
	Revenue	60,00,00,000	0	60,00,00,000
	Capital	50,00,00,000	0	50,00,00,000
046.	Science and Technology			
	Revenue	200	0	200
	Capital	1,65,00,600	0	1,65,00,600
047.	Technical Education, Skill Development and Employment.			
	Revenue	79,29,72,700	0	79,29,72,700
	Capital	400	0	400
048.	Narmada Valley Development			
	Revenue	1,30,70,00,500	0	1,30,70,00,500
	Capital	8,00,00,00,000	0	8,00,00,00,000
049.	Scheduled Caste Welfare			
	Revenue	1,74,01,11,000	0	1,74,01,11,000
	Capital	100	0	100
051.	Religious Trusts and Endowments.			
	Revenue	100	0	100

(1)	(2)	(3)		
		Rs.	Rs.	Rs.
052. Medical Education	Revenue	99,20,00,100	0	99,20,00,100
053. Minority Welfare	Revenue	3,83,000	0	3,83,000
	Capital	11,54,91,000	0	11,54,91,000
054. Backward Classes Welfare	Revenue	4,98,42,00,000	0	4,98,42,00,000
055. Women and Child Development.	Revenue	10,76,86,13,300	0	10,76,86,13,300
056. Cottage and Village Industries.	Revenue	300	0	300
057. Happiness	Revenue	100	0	100
Total :	{ Revenue	— 59,82,54,75,200	2,02,91,40,600	61,85,46,15,800
	{ Capital	— 35,36,48,95,100	63,00,00,100	35,99,48,95,200
	Grand Total	— 95,19,03,70,300	2,65,91,40,700	97,84,95,11,000